कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**प्रभात कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**सुनील कुमार**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	01
पंजीयन क्रमांक	–	659
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**रितेश**
पिता/पति का नाम	:–	**रामेश्वर सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	02
पंजीयन क्रमांक	–	357
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**हरिनंद नाग**
पिता/पति का नाम	:–	**चमन साय**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	03
पंजीयन क्रमांक	–	136
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**करमचंद**
पिता/पति का नाम	:–	**स्व० लम्बोदर सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	04
पंजीयन क्रमांक	–	138
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**बालेश्वर सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**सनोहर सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	05
पंजीयन क्रमांक	–	64
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**शंकर राम भगत**
पिता/पति का नाम	:–	**स्व० धुर्मल भगत**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**06**
पंजीयन क्रमांक	–	**130**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अनुप तिर्की**
पिता/पति का नाम	:–	**स्व० निरन्तर तिर्की**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	07
पंजीयन क्रमांक	–	217
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अगुस्टीन एक्का**
पिता/पति का नाम	:–	**नईहरसाय एक्का**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	08
पंजीयन क्रमांक	–	315
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**निलेश तिग्गा**
पिता/पति का नाम	:–	**दाउद**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**09**
पंजीयन क्रमांक	–	**893**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्ष**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**राजू कुजूर**
पिता/पति का नाम	:–	**महेन्द्र कुजूर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	10
पंजीयन क्रमांक	–	420
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**महेश्वरी**
पिता/पति का नाम	:–	**मोती लाल**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	11
पंजीयन क्रमांक	–	468
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**महिमा कंवर**
पिता/पति का नाम	:–	**खुशी लाल कंवर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	12
पंजीयन क्रमांक	–	308
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**प्रताप सिंह कंवर**
पिता/पति का नाम	:–	**वीर सिंह कंवर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**13**
पंजीयन क्रमांक	–	**399**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**ज्योति**
पिता/पति का नाम	:–	**संतलाल**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**14**
पंजीयन क्रमांक	–	**416**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**विजय कुमार सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**सनोहर सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**15**
पंजीयन क्रमांक	–	**179**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**पावन श्रद्धांशू**
पिता/पति का नाम	:–	**शिव नारायण भगत**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**16**
पंजीयन क्रमांक	–	**738**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अंजू कुमारी**
पिता/पति का नाम	:–	**लखन सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**17**
पंजीयन क्रमांक	–	**296**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सरस्वती कौशिक**
पिता/पति का नाम	:–	**बंशधारी कौशिक**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	18
पंजीयन क्रमांक	–	903
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**रामप्रवेश टोप्पो**
पिता/पति का नाम	:–	**लालसाय टोप्पो**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**19**
पंजीयन क्रमांक	–	**76**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**समीक्षा कुजूर**
पिता/पति का नाम	:–	**राजकुमार कुजूर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	20
पंजीयन क्रमांक	–	289
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**संजू कुजूर**
पिता/पति का नाम	:–	**राजेश कुजूर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	21
पंजीयन क्रमांक	–	594
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अंजेला तिर्की**
पिता/पति का नाम	:–	**ननकू राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**22**
पंजीयन क्रमांक	–	**163**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**माया सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**स्व० बृजलाल सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**23**
पंजीयन क्रमांक	–	**249**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**रोहित किस्पोट्टा**
पिता/पति का नाम	:–	**सुमन किस्पोट्टा**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**24**
पंजीयन क्रमांक	–	**144**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**जेरोमिना तिग्गा**
पिता/पति का नाम	:–	**जेरोम तिग्गा**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**25**
पंजीयन क्रमांक	–	**424**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**शिवकिकंर नेताम**
पिता/पति का नाम	:–	**तुलसी राम नेताम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	26
पंजीयन क्रमांक	–	232
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सुरेन्द्र कुमार कंवर**
पिता/पति का नाम	:–	**हेतराम कंवर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**27**
पंजीयन क्रमांक	–	**242**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**रविशंकर सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**लक्ष्मण सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	28
पंजीयन क्रमांक	–	557
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**दिलीप कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**गंभीरा राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	29
पंजीयन क्रमांक	–	407
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**बुदेश्वर प्रसाद**
पिता/पति का नाम	:–	**एतवा राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	30
पंजीयन क्रमांक	–	693
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**राम भरोष**
पिता/पति का नाम	:–	**सुखल राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**31**
पंजीयन क्रमांक	–	**932**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सुमन कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**बीर सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	32
पंजीयन क्रमांक	–	379
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**संतोष**
पिता/पति का नाम	:–	**जगेश्वर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**33**
पंजीयन क्रमांक	–	**247**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**राजेश कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**रामजीवन**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	34
पंजीयन क्रमांक	–	801
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	14.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अर्जुन सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**धिरपाल**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**35**
पंजीयन क्रमांक	–	**181**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सुन्दर लाल**
पिता/पति का नाम	:–	**कुशो राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**36**
पंजीयन क्रमांक	–	**221**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**शकुन्तला एक्का**
पिता/पति का नाम	:–	**अन्तराम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**37**
पंजीयन क्रमांक	–	**234**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**बिंधकेश्वर राम**
पिता/पति का नाम	:–	**चमन राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**38**
पंजीयन क्रमांक	–	**346**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**सहायक ग्रेड–03 (अ०ज०जा० दिव्यांग)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**जयनाथ**
पिता/पति का नाम	:–	**तुम्नूराम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	**39**
पंजीयन क्रमांक	–	**135**
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	**14.11.2026**
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल